न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 256 / 2023

उनवान

1– गोपी पुत्र केशु उर्फ केशर बावरी निवासी बोरडा – तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
2– मु. रतनी पत्नी गोपी बावरी निवासी बोरडा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
3– छीतर पुत्र केशु उर्फ केशर बावरी निवासी बोरडा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
4–. लादू पुत्र केशु उर्फ केशर बावरी निवासी बोरडा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
5– मु. शांति पुत्री केशु उर्फ केशर बावरी निवासी बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
6– मु. सोहनी पुत्री केशु उर्फ कंशर बावरी निवासी बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
7– मु. धापु पत्नी केशु उर्फ केशर बावरी निवासी बोरडा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
8– मु. गीता पत्नी लादू बावरी निवासी बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
9– धन्ना पिता केशु उर्फ केशर बावरी निवासी बोरडा बावरियान् तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
10– मु. सायरी पत्नी धन्ना बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
11– गीता पत्नी छीतर बावरी निवासी बोरडा बावरियान तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– मांगीलाल पुत्र उगमा बावरी निवासी बोरडा बावरियान तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
2– प्यारा पुत्र दयाल बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान् तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
3– रामदयाल पुत्र कुन्दना बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान् तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
4– चम्पालाल पुत्र घीसू बावरी निवासी बोरडा बावरियान् तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
5– शिवा पुत्र बालू बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान् तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
6– सीताराम पिता मोती बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान् खेड़ा, तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
7–सीताराम पुत्र लक्ष्मण बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान् तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
8– लादू पिता हरलाल बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान् तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
9– सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मण बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
10– भोपाल पुत्र हरलाल बावरी निवासी बोरडा बावरियान खेड़ा, तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
11– देबी पिता उगमा जाट निवासी बोरड़ा बावरियान् खेड़ा, तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
12– बाबू पिता हीरा बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान् तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
13– देबी पिता लादू बावरी निवासी बोरडा बावरियान तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा
14– मनोहर पिता मांगू जी बावरी निवासी बोरड़ा बावरियान् तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री त्रिलोकचंद नौलखा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12/02/2024

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **बोरड़ा पटवार हल्का बोरड़ा** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 3045/29 रकबा 0.17 है0, 2338 रकबा 0.68 है0, 2338/2777 रकबा 0.01 है0, 85 रकबा 0.46 है0, 94 रकबा 0.31 है0, 33 रकबा 0.32 है0, 31 रकबा 0.65 है0, 2339 रकबा 0.52 है0, 1648 रकबा 0. 55 है0, 1649 रकबा 0.26 है0, 1650 रकबा 0.11 है0, 34 रकबा 0.32 है0, 35 रकबा 0.43 है0, 36 रकबा 0.53 है0, 3044/29 रकबा 0.17 है0, 3043 रकबा 0.16, 3042 रकबा 0.18 है0** कुल किता **17** रकबा **5.85** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1, 2, 4 लगायत 13** बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 3, 14** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही

नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम बोरड़ा पटवार हल्का बोरड़ा संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **बोरड़ा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् किता **17 रकबा 5.85 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 2400/- रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **12/02/2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा